भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3791
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

नया नोटरी पोर्टल

3791 श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े :

श्री मिथलेश कुमार :

डा. कल्पना सैनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यकुशलता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में नोटरी पोर्टल के कार्यकरण की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या नोटरी अभिलेखों के लिए डिजिटल भंडारण सुविधा स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु एक समर्पित मंच के रूप में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है । इसका उद्देश्य नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता का सत्यापन, नोटरी के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का नवीनीकरण, प्रैक्टिस क्षेत्र में परिवर्तन, वार्षिक विवरणी जमा करने आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए नोटरी और सरकार के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करना है। नोटरी पोर्टल एक केसलेस, पेपरलेस, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है ।वर्तमान में, केवल दस्तावेजों और पात्रता के सत्यापन और नव नियुक्त नोटरी को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने से संबंधित मॉड्यूल लाइव है ।नोटरी पोर्टल लॉन्च होने से पहले, नोटरी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भौतिक रूप से जारी किया जाता था ।27.03.2025 तक, नोटरी पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए नव नियुक्त नोटरियों को 27,000 से अधिक डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी किए गए हैं।

(ख) : जी नहीं , ।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

****